प्रारुप 11

परियोजना का नाम :– मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी में विकासखण्ड चम्बा के अन्तर्गत चम्बा मसूरी मोटर मार्ग के काणताल से अंधियारगढी सनगांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मार्गों का पूर्ण औचित्य को दर्शाते हुए विस्तृत आख्या।

उपरोक्त मोटर मार्ग के नव निर्माण कार्य(प्रथम चरण) हेतु शासनादेश संख्या **5377** / ||| (2) / 13–13 (मुं0मं0घो0) / 2012 दिनांक 14 जनवरी 2013 द्वारा 8.00 कि.मी. +12.00 मी0 स्पान लम्बाई हेतु रु 101.36 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त है।

यह मार्ग चम्बा मसूरी मोटर मार्ग के किमी0 16 से प्रारम्भ होता है। तथा मार्ग की कुल लम्बाई 4.775 किमी0 है। इस मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3600.00 मीटर लम्बाई मे आरक्षित वन भूमि जिसका क्षेत्रफल 2.520हे0, तथा 1175.00 मीटर लम्बाई मे नाप भूमि जिसका क्षेत्रफल 0.8225 हे0 है, की आवश्यकता है।

इस मार्ग के नव निर्माण से क्षेत्र के समुचित विकास के साथ–साथ स्थानीय जनता लाभान्वित होगी तथा ग्राम क्षेत्रवासियों के लिये यातायात की सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। वर्तमान में ग्रमीणों को चम्बा मसूरी मोटर मार्ग तक पहुँचने के लिए काफी पैदल चलना पडता है एंव ग्रामीणों द्वारा उगाई गयी कई प्रकार की सब्जी एंव दाले घोडे–खच्चरों द्वारा मोटर मार्ग तक पहुँचाया जाता है। उक्त ग्राम सभा में क्षेत्रीय जनता द्वारा नकदी फसल एवं दुग्ध का उत्पादन किया जाता है इस मार्ग के बनने से क्षेत्रीय जनता मुख्य मार्ग से जुड जायेगी तथा कृषि उपजों तथा दुग्धमण्डियों / बाजारों तक ढुलान सम्भव हो पायेगा। जिससे क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा तथा यह चम्बा ब्लाक एवं टिहरी मुख्यालय जाने हेतु कम दूरी का अति उत्तम मार्ग होगा। मार्ग निर्माण हेतु उक्त प्रस्तावित वन भूमि लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड को हस्तान्तरित की जानी आवश्यक एवं न्यूनतम है।

इस मार्ग का संयुक्त निरीक्षण 7.00 मीटर चौड़ाई में पेड़ों की गिनती के साथ प्रस्तुत किया गया, जिसमे कुल **605** वृक्ष आ रहे हैं, जिसमें बॉज एंव बुरॉश प्रजाति के **398** वृक्ष प्रभावित हो रहे है। प्रस्ताव में वनभूमि हस्तानान्तरण हेतु मार्ग की चौड़ाई 7.00 मीटर ली गयी है। मार्ग से लाभान्वित होने वाले ग्रामों की सूची निम्न प्रकार है–

क0सं0	ग्राम	कोड	आवादी
1	सौड (सनगांव)	0043898	1440

मार्ग पर पड़ने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :–

3. **आरक्षित वन भूमि का क्षेत्रफल–** **2.520हे0 (लम्बाई 3.600कि0मीटर)**
4. **नाम भूमि का क्षेत्रफल –** **0.8225हे0 (लम्बाई 1.175कि0मीटर)**

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
चम्बा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
चम्बा।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
चम्बा।

रेंज अधिकारी
सकलाना रेंज
चम्बा।

(मुहर: वन क्षेत्राधिकारी सकलाना रेंज, चम्बा)

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनी–की–रेती।